न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 66/2023

1. विजयसिंह पुत्र बद्रीप्रसाद गोदारा जाति जाट निवासी 12 एमएलडी घड़साना श्रीगंगानगर

.....प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

–: आदेश :– **दिनांक :– 12.06.23**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि चक 8 केजेडी बी मु0नं0 83/14 के किला नं0 6/8 में 0.2276 है0, 15 में 0.2529 है0, 16/3 में 0.0253 है0 की 0.5058 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 12.01.2022 को खरीदशुदा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि को खरीद करने से पूर्व भूमि मालिक हरिविन्द्रकौर व लखवीरसिंह के पति/पिता निर्मलसिंह पुत्र हाकमसिंह व लखमीरसिंह पुत्र निर्मलसिंह जाति जटसिख निवासी 2 केडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर से उनके नाम की खातेदारी भूमि में से वाके चक 8 केजेडी बी का मु0नं0 83/14 में किला नं0 3 ता 8 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा यानि 6 बिस्वा भूमि रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार खाजूवाला को प्रार्थनापत्र दिया था। लेकिन श्रीमान तहसीलदार खाजूवाला द्वारा उक्त भूमि चक 8 केजेडी बी मु0नं0 83/14 में किला नं0 3 ता 8 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा यानि कुल 6 बिस्वा का राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अंकन करने के बजाय रकबा राज दर्ज कर दिया। चक 8 केजेडी बी मु0नं0 83/14 के किला नं0 3 ता 8 प्रत्येक में 2–2 यानि कुल 6 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम कर अंकन दर्ज करने के आदेश का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसर किला नं0 16/4, 25/2 में रास्ता स्वीकृत किये जाने पर आवागमन की सुविधा होगी लिखा है। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मु0नं0 83/14 के किला नं0 3 ता 5 व 6 ता 8 के बीच में सींव पर 1–1 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता कृषि भूमि में से रकबा राज किया गया है इसलिए यही रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज के आदेश फरमावें जावें। अतः मु0नं0 83/14 के किला नं0 3 ता 5 व 6 ता 8 के बीच में सींव पर 1–1 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता मन्जूर किया जाना उचित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि चक 8 केजेडी बी मु0नं0 83/14 के किला नं0 3 ता 5 व 6 ता 8 के बीच में सींव पर 1–1 बिस्वा कुल 6 बिस्वा में स्थायी सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि "राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार स्वीकार करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 8 केजेडी बी मु0नं0 83/14 के किला नं0 3 ता 5 व 6 ता 8 के बीच में सींव पर 1–1 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)